

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**  
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :- 32/2024

बलवन्तसिंह पुत्र श्री हन्सासिंह जाति मजहबी निवासी अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला  
हनुमानगढ (राजस्थान)

.....वादी.....

**बनाम**

1. सुखमन्द्र कौर पत्नी श्री गुरासिंह जाति मजहबी निवासी अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला  
हनुमानगढ (राजस्थान)
2. इकबालसिंह पुत्र श्री गुरासिंह जाति मजहबी निवासी अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला  
हनुमानगढ (राजस्थान)
3. जसप्रीत कौर पुत्री गुरासिंह पत्नी गुरप्रीतसिंह जाति मजहबी निवासी अहमदपुरा तहसील  
पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान) हाल निवासी चक श्यामसिंह वाला 31 एस एस  
डब्ल्यु (फतेहगढ) तहसील व जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
4. जसवीरकौर पुत्री श्री गुरासिंह जाति मजहबी निवासी अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला  
हनुमानगढ (राजस्थान)
5. रणवीरकौर पुत्री श्री गुरासिंह पत्नी सुखराजसिंह जाति मजहबी निवासी अहमदपुरा तहसील  
पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान) हाल निवासी शेरगढ तहसील डबवाली जिला  
सिरसा (हरियाणा)
6. जरनैल कौर पुत्री हंसासिंह पत्नी जैलासिंह जाति मजहबी निवासी अहमदपुरा तहसील  
पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान) हाल निवासी शजन्डावाली तहसील व जिला  
हनुमानगढ (राजस्थान)
7. जसविन्द्र कौर पुत्री हंसासिंह पत्नी श्री जसवीरसिंह जाति मजहबी निवासी अहमदपुरा  
तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान) हाल निवासी सलेमगढ तहसील व जिला  
हनुमानगढ (राजस्थान)
8. भोलासिंह पुत्र श्री कर्मसिंह जाति मजहबी निवासी अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला  
हनुमानगढ (राजस्थान)
9. जोगेन्द्रसिंह पुत्र श्री कर्मसिंह जाति मजहबी निवासी अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला  
हनुमानगढ (राजस्थान)
10. मक्खनसिंह पुत्र श्री कर्मसिंह जाति मजहबी निवासी अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला  
हनुमानगढ (राजस्थान)
11. सुखपालसिंह पुत्र श्री कर्मसिंह जाति मजहबी निवासी अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला  
हनुमानगढ (राजस्थान)
12. मनदीप कौर पुत्री श्री कर्मसिंह पत्नी श्री हरनेकसिंह जाति मजहबी निवासी अहमदपुरा  
तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान) हा निवासी सकताखेड़ा तहसील व जिला  
सिरसा (हरियाणा)
13. हरजिन्द्रकौर पुत्री श्री कर्मसिंह पत्नी जगसीरसिंह जाति मजहबी निवासी अहमदपुरा  
तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान) हाल निवासी गुरुतेग बहादुर कालानी  
करतारपुरा संगरूर (पंजाब)

सहायक कलक्टर एव  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

14. जसविन्द्र कौर पुत्री श्री कर्मसिंह पत्नी श्री हरदेवसिंह जाति मजहबी निवासी अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) हाल निवासी वार्ड नम्बर 07 गिदड़वाहा जिला श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब)
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

**दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा**

—:निर्णय:—

दिनांक :-.....

वादीगण की ओर से श्री संजीव आहुजा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 की ओर से श्री सोहनलाल सुथार अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद वादी निम्नानुसार डिक्री किया जाता है:-

चक नम्बर 17 पीबीएन के वर्तमान खाता संया 62/50 के पन. 21/316(13) 0.759 हैक्ट. व प.न. 22/316 (12) की 5.060 हैक्ट. इस प्रकार दोनों पत्थरो की कुल 5.819 हैक्ट. अनकमाण्ड मय रास्ता खातेदारी में से जीवनसिंह के 1/2 हिस्सा 2.909 हैक्ट. में से जीवनसिंह का नाम कलमजन किया जाकर निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है:-

1. वादी बलवंतसिंह पुत्र हंसासिंह को 0.7272 हैक्ट. का खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 2 ईकबालसिंह पुत्र गुरासिंह को 0.7272 हैक्ट. का खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 भोलासिंह, जोगेन्द्रसिंह, मक्खनसिंह, सुखपालसिंह पिसरान कर्मसिंह को 1.4545 हैक्ट. बहिस्सा बराबर भूमि का काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 17/09/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई) आर.टी.ए.  
 उपखण्ड अधिकारी एवम्  
 पदेन सहायक कलक्टर  
 पीलीबंगा